राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/म.स./वीएस/डीईएस/2017/I/73223/2017 दिनांकः– 1-9-2017

आदेश

विषयः—माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णयानुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता की स्थिति में जन्म रजिस्ट्रेशन बाबत्।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ABC Vs The State (NCT of Delhi),(2015) 10 SCC 1 के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2015 एवं ममता स्वामी विरूद्ध राज्य सरकार व अन्य (एक पीठ याचिका संख्या 5422/2016) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.09.2016 के अनुसार एकल अभिभावक/अविवाहित माता द्वारा स्वयं के बालक/बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर बगैर कोई बाधा के रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम 2000 के प्रावधान के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अतः उक्त आदेश को प्राथमिकता प्रदान करते हुए पालना सुनिश्चित करावें।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13/1/3/म.स./वीएस/डीईएस/2017/73223 दिनांकः– 1-9-2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री जे.एम.सक्सैना, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. उप महारजिस्ट्रार, भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, जीवनांक प्रभाग, गृह मंत्रालय, आर. के.पुरम, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर जिला.........................।
5. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम जिला ....।
6. निदेशक (सी.आर.एस), जनगणना कार्य निदेशालय, झालाना डूंगरी, जयपुर।
7. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जिला.......................................।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव